उत्तर प्रदेश

संदेश

जून, 2017 वर्ष 28, अंक 3

एक क्रान्तिकारी कदम

सबका साथ – सबका विकास

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

क्या आपने जी.एस.टी. में पंजीकरण करवाया है ?

यदि नहीं तो आज ही वाणिज्य कर अधिकारियों से सम्पर्क करें

उनके द्वारा दिये गये SMS/ई–मेल पर प्राप्त प्रोविजनल आई डी एवं पासवर्ड से **www.gst.gov.in** पर लॉगिन करें और प्रदेश की प्रगति के लिए जी.एस.टी. में इनरोल हो जायें

जी.एस.टी. जागरूकता सेमिनार की तिथियाँ

शहर	तिथियाँ	शहर	तिथियाँ
मेरठ	26 मई व 7 जून	गोरखपुर	3 जून
मुरादाबाद	27 मई व 13 जून	इटावा	8 जून
इलाहाबाद	27 मई व 15 जून	फैजाबाद	9 जून
आगरा	27 मई व 8 जून	बरेली	9 जून
कानपुर	27 मई व 10 जून	अलीगढ़	10 जून
गाजियाबाद	29 मई व 9 जून	वाराणसी	10 जून
लखनऊ	30 मई व 15 जून	सहारनपुर	10 जून
झांसी	3 जून	गौतमबुद्ध नगर	12 जून

उ.प्र. वाणिज्य कर विभाग के **581370** पंजीकृत व्यापारियों ने जी.एस.टी. पोर्टल **www.gst.gov.in** पर पंजीकरण कर लिया है

विभाग के **2000** अधिकारियों एवं **5000** कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है

विभाग द्वारा **500** से अधिक कार्यशालाएं/जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें **5000** से अधिक व्यापारियों, अधिवक्ताओं, सी.ए. एवं अन्य नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है।

जी.एस.टी. एनरोलमेण्ट हेतु सरकार द्वारा अन्तिम अवसर !

दिनांक 1 जून से 15 जून, 2017 तक जी.एस.टी. पोर्टल पर एनरोलमेण्ट पुनः खुल रहा है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठायें।

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें

वेबसाइट www.comtax.up.nic.in
ई–मेल info.up.gst@gmail.com
comtaxup
@ComtaxU
हेल्पलाइन 0522-3312600, 2721944
कंट्रोल रूम 0522-2721153

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश
संदेश

जून, 2017
वर्ष 28, अंक 3

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
अनुज कुमार झा
सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश

सम्पादकीय परामर्श :
डॉ. ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर निदेशक
अशोक कुमार बनर्जी, संयुक्त निदेशक
हेमन्त कुमार सिंह, उप निदेशक

सम्पादक :
चन्द्र शेखर यादव

सज्जा :
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गांव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग, लखनऊ

छायाचित्र :
फोटो शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.

मुद्रक :
पवन कुमार गोयल
अतुल ग्राफिक्स
76, नया गाँव (पूर्व)
एम.एल. बोस मार्ग, लखनऊ

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884/91

■ **पर्यटन** 01
- उत्तर प्रदेश में पर्यटन के ....
- 94 पर्यटन स्थलों को ....
- विभिन्न परियोजनाओं की ....
- अयोध्या के समुचित ....

■ **उपलब्धि** 11
- 100 दिन में उत्तर प्रदेश ....

■ **आवरण कथा** 12
- एक क्रान्तिकारी क़दम ....

■ **समग्र विकास** 14
- प्रदेश सरकार समग्र ....
- शिक्षा को बढ़ावा देती ....
- प्रदेश का सर्वांगीण विकास ....

■ **स्वास्थ्य** 20
- निःशुल्क चिकित्सा ....

■ **क़ानून व्यवस्था** 23
- अपराधियों से सख्ती से ....
- प्रदेश सरकार नक्सली ....
- क़ानून व्यवस्था को लेकर ....

■ **कृषि** 28
- गेहूँ की रिकार्ड खरीद ....
- सिंचन क्षमता का सृजन ....

■ **शहरी विकास** 30
- स्मार्ट सिटी की सौगात ....

■ **परिवहन** 31
- जनरथ बस सेवा की ....

■ **अल्पसंख्यक कल्याण** 32
- अल्पसंख्यकों के विकास ....

■ **लोक निर्माण** 34
- सुगम यातायात को ....

■ **फ़ैसले** 35
- मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण ....

घोषणा–पत्र (नियम-3 देखें)

मैं अनुज कुमार झा, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ घोषणा करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश संदेश मासिक पत्रिका का प्रकाशक हूँ, जो लखनऊ से प्रकाशित एवं मुद्रित की जायेगी तथा उक्त के सम्बन्ध में जो विवरण दिये गये हैं, वे मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

1. पत्र/पत्रिका का नाम	उत्तर प्रदेश संदेश
2. पत्र/पत्रिका की भाषा (जिसमें इसे प्रकाशित करना है।)	हिन्दी
3. प्रकाशन आवधिकता	
1. दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक	मासिक
2. प्रातःकालीन समाचार पत्र है या सायंकालीन	मासिक
3. दैनिक के अतिरिक्त अन्य समाचार-पत्र के मामले में कृपया दिन/उन दिनों /तिथियों का उल्लेख करें जिसमें वह प्रकाशित होगा।	
4. समाचार पत्र/पत्रिका का खुदरा मूल्य	रू0 5.00
1. यदि समाचार-पत्र/पत्रिका का वार्षिक चंदा लिया जाता है तो उसका उल्लेख करें	रू0 60.00
5. प्रकाशक का नाम	अनुज कुमार झा
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
6. प्रकाशक का स्थान व पूरा पता	यथोपरि
7. मुद्रक का नाम	पवन कुमार गोयल
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	76, नया गाँव (पूर्व), एम.एल.बोस मार्ग, लखनऊ।
8. मुद्रण प्रेस का नाम, जहां कार्य किया जाता है तथा उसके परिसरों का सही व (विस्तृत) विवरण, जिसमें प्रेस लगी हो।	अतुल ग्राफिक्स 76, नया गाँव (पूर्व), एम.एल.बोस मार्ग, लखनऊ।
9. सम्पादक का नाम	चन्द्रशेखर यादव
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
10 स्वामी का नाम व पता	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
• कृपया फर्म में विस्तृत पूँजी कम्पनी न्याय व्यक्तियों के नाम, जो समाचार-पत्र का स्वामी हो।	सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
• कृपया उल्लेख करें कि क्या स्वामी के कोई अन्य समाचार-पत्र भी हैं और हों तो उसका नाम। निम्नलिखित के सम्बन्ध में -	नया दौर (उर्दू मासिक) उ.प्र. मासिक हिन्दी
एक नये समाचार-पत्र के बारे में	नहीं
एक चालू समाचार-पत्र के बारे में	हाँ
घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने का कारण	प्रकाशक के नाम में परिवर्तन

(अनुज कुमार झा)
सूचना निदेशक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मात्र 100 दिनों के अल्पकालीन शासन काल में कैबिनेट बैठकों का इतिहास बनाकर अपनी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से जनता को रूबरू कराकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को उजागर कर दिया है। चुनाव के समय पार्टी द्वारा घोषित संकल्प-पत्र में किए गए वायदों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। संकल्प-पत्र के ही अनुसार उन्होंने पहली ही कैबिनेट बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लेकर वायदों को पूरा करने की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश दे दिया है। स्वच्छ व ईमानदार सरकार साबित करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों और नौकरशाहों को अपनी सम्पत्तियों को घोषित करने का आदेश दिया। अतीत में जिस तरह सरकारों ने अपनी पिछली सरकार में तैनात नौकरशाही को तबादलों से परेशान कर दिया था, योगी ने उस पर लगाम लगाई है। योगी का कहना है कि प्रदेश में तबादला उद्योग बन्द होगा, उन्होंने कुछ आवश्यक फेरबदल ही किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि भले ही नौकरशाहों पर दल विशेष का ठप्पा लगा हो, लेकिन नयी सरकार में उन्हीं नौकरशाहों से काम लेकर प्रदेश की जनता को संतुष्ट किया जायेगा।

समस्त उत्तर प्रदेश में स्वच्छता सहित कार्यालयों में कर्मचारियों का समय पर आना-जाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को इस काम में लगाया है कि वे हर जगह औचक निरीक्षण कर 'सही काम' होने का संदेश दें। कुर्सी पर बैठते ही 'एण्टी रोमियो टास्क फोर्स' का गठन कर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की पहल की। एम्बुलेंस में बढ़ोत्तरी कर उन्होंने मरीजों को अस्पताल पहुँचाना सुलभ किया। प्रदेश में धड़ल्ले से चल रही अवैध पशु-वधशालाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर योगी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने आलू किसानों को राहत देने की नीयत से जहाँ उन्होंने तत्काल प्रभाव से 487 प्रति कुंटल आलू खरीदने का फरमान जारी किया, वहीं जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे बिजली देने का भी निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने केन्द्र के साथ 'पावर फॉर आल' एम.ओ.यू. पर समझौता किया। 15 जून तक समूचे प्रदेश की हजारों कि.मी. सड़कों को गड्ढा मुक्त करके जनता के बीच में अच्छा संदेश पहुँचाया है। अबाध गति से जारी अवैध खनन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने टास्क फोर्स के गठन का निर्णय किया। योगी सरकार ने आगरा एयरपोर्ट का नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय व गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन का नाम बाबा गोरखनाथ जैसे पुरोधाओं के नाम किये जाने का निर्णय लेकर महापुरूषों के प्रति सम्मान प्रकट किया है।

स्वच्छता के मामले में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। वे प्रदेश को स्वच्छता के मामले में देश के पटल पर लाने का वायदा कर रहे हैं। समस्त ग्राम पंचायतों को 'खुले में शौच से मुक्त' घोषित करने का निर्णय लिया है। योगी सरकार पूर्ण समर्पण व पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

चन्द्र शेखर यादव

सम्पादक

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बढ़ते कदम

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आदि स्थलों का अधिकाधिक विकास हो और देश–विदेश के पर्यटक अधिकाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश आयें। सरकार ने धार्मिक स्थल नैमिषारण्य, अयोध्या, फैजाबाद, घुइसरनाथ धाम, प्रतापगढ़, फतेहपुर में गंगा घाट स्थल भिठौरा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, विंध्याचल, चित्रकूट, वारणसी आदि धार्मिक स्थलों के साथ–साथ तीन पर्यटक सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट तथा बुद्ध सर्किट को विकसित किया जाएगा।

सरकार ने पर्यटक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित एयर स्ट्रिप को पूर्ण रूप से विकसित करने की व्यवस्था की। इसके साथ ही कुशीनगर तथा जेवर (बुलंदशहर) में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही आवागमन के अन्य साधनों को भी सरकार ने विकसित करने को प्रमुखता दी है। आवागमन के इन साधनों के विकास से राज्य में बड़ी संख्या में आकर दर्शनीय स्थलों का भ्रमण सुगमता से कर सकेंगे।

पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा के लिए जर्मन, फ्रेन्च, जापानी, कोरियन, स्पेनिश, मेंड्रिन, अंग्रेजी एवं हिन्दी में वन–स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन पोर्टल का निर्माण कर रहा है।

सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के तहत नैमिषारण्य में दशाश्वमेघ घाट एवं राजघाट का विस्तार तथा सौन्दर्यीकरण पर 5.5098 करोड़ रू तथा नैमिषारण्य पर्यटन के विकास पर 2.9579 करोड़ रू. से विभिन्न कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं। अयोध्या–फैजाबाद में 4.8069 करोड़ रू. से कुण्डों एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास करावाया जा रहा है। वारणसी में 3.1287 करोड़ रू. से गंगा के प्रमुख घाटों पर मूलभूत सुविधाओं से सृजन का कार्य प्रगति पर है। प्रतापगढ़ जिले में घुइसरनाथ धाम को पर्यटन के रूप में विकसित करने एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य 3.50 करोड़ रूपए से कराया गया है। इसके साथ घुइसरनाथ धाम में 24 लाख रूपये की लागत से एक प्रवेश द्वार बनाया गया है। इसी जनपद में कुलदेवी माता मन्दिर डेरवा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 02 करोड़ रूपये की लागत से कई विकास कार्य सम्पादित किए गए। फतेहपुर जनपद में गंगाघाट स्थल भिटौरा को पर्यटन के रूप में 45 लाख रूपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़े जाने की योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके तहत प्रथम चरण में नोएडा–वृन्दावन एवं नोएडा–आगरा रूप पर ये सेवा प्रारम्भ होगी।

प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की समेकित एवं वृहद योजनायें तैयार की जा रही हैं, जिससे प्रदेश में देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके और उनके आवागमन में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इस प्राथमिकता के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम को हेरिटेज सर्किट एवं स्पिरीचुअल सर्किट के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 34 जनपदों में कुल 94 पर्यटन स्थलों के विकास की योजना स्वीकृत की गयी है। इन स्थलों पर पर्यटन विकास कार्यों के फलस्वरूप स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं एवं घरेलू पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

पर्यटन

इन पर्यटन स्थलों पर लाइट एंड साउंड, हाईमास्ट लाइट, इंटर प्रिटेशन सेंटर समेत पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। धार्मिक स्थलों पर घाट बोटिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि लगेगी।

- अवनीश अवस्थी
प्रमुख सचिव

94 पर्यटन स्थलों को संवारेगी प्रदेश सरकार

संत कबीर दास ने मगहर में निर्वाण लिया। यह सभी जानते हैं लेकिन क्या यह पता है कि मगहर में उनकी समाधि और मजार दोनों अगल–बगल बनी है। शायद कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने इसे देखा होगा। अब पर्यटन विभाग ने इसे संवारने का बीड़ा उठाया है। मगहर समेत 94 पर्यटन स्थल स्वदेश दर्शन योजना के तहत चमकाए जाएंगे।

हेरिटेज सर्किट और दो आध्यात्मिक (स्प्रिचुअल) सर्किट के तहत इन पर्यटक स्थलों को संवारा जाएगा। इनमें वे पर्यटक स्थल भी शामिल हैं जिन्हें लोग नाम से जानते हैं लेकिन कभी जाते नहीं, क्योंकि वहां कोई सुविधाएं नहीं हैं और न ही वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें ठीक हैं। इस योजना के तहत सारी सुविधाओं को जोड़ा जाएगा।

पर्यटन महानिदेशक अवनीश अवस्थी के मुताबिक इन पर्यटक स्थलों में कई तरह के काम कराए जाएंगे। जहां जैसी जरूरत होगी वैसे काम कराया जाएगा। मसलन ऐतिहासिक स्थलों में लाइट एंड साउंड शो, हाई मास्ट लाइट, इंटरप्रिटेशन सेंटर समेत पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा। वहीं धार्मिक स्थलों में घाट, बोटिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग टाइल्स आदि लगाए जाएंगे। इसके अलावा संपर्क मार्ग, कम्युनिटी सेंटर, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, बेंच, स्पॉट लाइट, साइनेज आदि काम ज्यादातर पर्यटक स्थल पर होंगे। हेरिटेज सर्किट में 7 पर्यटक स्थलों को संवारा जाएगा, जिनमें दो पश्चिमी उ.प्र. के हैं। वहीं दो आध्यात्मिक सर्किट भी चमकाए जाएंगे। पहले सर्किट में 39 और दूसरे सर्किट में 48 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। इन सर्किटों में काम 36 महीने में पूरा होना है। हेरिटज सर्किट के लिए 4,150,95 लाख रूपए खर्च किए जाएंगे।

हेरिटेज सर्किट

क्रम	पर्यटक स्थल	जिला
1.	शहीद स्मारक	मेरठ
2.	मगहर धाम	संतकबीर नगर
3.	चौरी-चौरा शहीद स्मारक	देवरिया/गोरखपुर
4.	माहुर शहीद स्थल, घोसी	मऊ
5.	शहीद स्थल, खागा	फतेहपुर
6.	कालिंजर किला	बाँदा
7.	शोलन चौपाल	मुजफ्फर नगर

स्पिरीचुअल सर्किट-1

क्रम	पर्यटक स्थल	जिला
1.	माँ अवन्तिका मन्दिर	बुलंदशहर
2.	अचल ताल	अलीगढ़
3.	सोरों मन्दिर	अलीगढ़
4.	माँ शीतला देवी सिद्ध पीठ	कौशाम्बी
5.	घुइसरनाथ धाम	प्रतापगढ़
6.	गंगा घाट सरौसी	उन्नाव
7.	भारत भारी, डुमरियागंज	सिद्धार्थ नगर
8.	कैराना, शामली	मुजफ्फरनगर
9.	सिद्धनाथ बाबा की दरी	मिर्जापुर
10.	हनुमंत धाम	शाहजहाँपुर
11.	परशुराम मन्दिर	आजमगढ़
12.	दुर्वासा आश्रम	आजमगढ़
13.	चन्द्रमुनी आश्रम	आजमगढ़
14.	दत्तात्रेय का आश्रम	आजमगढ़
15.	माँ शीतला देवी मन्दिर	आजमगढ़
16.	अवन्तिकापुरी मन्दिर	आजमगढ़
17.	जय माँ पल्मेशरी मन्दिर	आजमगढ़
18.	त्रिलोकीनाथ धाम	बागपत
19.	माँ मंशादेवी मन्दिर	बागपत
20.	पूरा महादेव मन्दिर	बागपत
21.	लाक्षागृह	बागपत
22.	चन्द्रेश्वर अतिशय जैन मन्दिर	बागपत
23.	परशुराम मन्दिर पूरा	बागपत
24.	बाबा टीकाराम तपोस्थली	बाराबंकी
25.	सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर	बाराबंकी
26.	लोधेश्वर महादेव मन्दिर	बाराबंकी
27.	महादेव मन्दिर	बाराबंकी
28.	सुमली नदी गंगापुर घाट	बाराबंकी
29.	पारिजात वृक्ष	बाराबंकी
30.	भगवान पार्श्वनाथ मन्दिर	बाराबंकी
31.	कोटवाधाम (बाबा जगजीवन दास)	बाराबंकी
32.	कुंतेश्वर महादेव मन्दिर	बाराबंकी
33.	सनेश्वर मन्दिर	बाराबंकी
34.	मौनी बाबा	बाराबंकी
35.	राजा जालिम सिंह महल, अमौढ़ा	बस्ती
36.	शहीद स्मारक छावनी	बस्ती
37.	मखौढ़ा	बस्ती
38.	श्रृंगीनेरी	बस्ती
39.	गोरखनाथ मन्दिर	गोरखपुर

स्पिरीचुअल सर्किट-2

क्रम	पर्यटक स्थल	जिला
1.	विदुर कुटी	बिजनौर
2.	शुक्रताल मन्दिर	मेरठ
3.	श्रृंगीऋषि मन्दिर, परीक्षितगढ़	मेरठ
4.	वाल्मीकी आश्रम	कानपुर
5.	लव-कुश आश्रम	कानपुर
6.	आनन्देश्वर मन्दिर परमट	कानपुर
7.	तुलसी उपवन	कानपुर
8.	बामेश्वर मन्दिर	कानपुर
9.	पवहारी बाबा मन्दिर	गाजीपुर
10.	मौनी बाबा	गाजीपुर
11.	जंगलीनाथ मन्दिर	देवरिया
12.	दिगम्बर नाथ मन्दिर	देवरिया
13.	चतुर्भुज मन्दिर	देवरिया
14.	दुर्गा मन्दिर एकला	देवरिया
15.	चैन बाबा पोखरा	देवरिया
16.	पंचरूका देवी मन्दिर	देवरिया
17.	वनखण्डीनाथ मन्दिर	देवरिया
18.	सोहाग धाम	देवरिया
19.	गौरी शंकर मन्दिर	मऊ
20.	वन देवी मन्दिर	मऊ
21.	शीतला माता मन्दिर	मऊ
22.	भृगुक्षेत्र मन्दिर	बलिया
23.	बरई का पोखरा	बलिया
24.	कारो धाम	बलिया
25.	श्रृंगीऋषि आश्रम	अम्बेडकर नगर
26.	खेरेश्वर धाम	अलीगढ़
27.	भृगुऋषि आश्रम	फतेहपुर
28.	निम्बेश्वर नाथ मन्दिर	देवरिया
29.	दूधनाथ मन्दिर	देवरिया
30.	बाबा महेन्द्रनाथ मन्दिर	देवरिया
31.	देवरहा बाबा मन्दिर	देवरिया
32.	मदन सागर	महोबा
33.	कीरत सागर	महोबा
34.	रावतपुरा मन्दिर	महोबा
35.	बिठौली दुर्गा मन्दिर	सोनभद्र
36.	नियार डीह माता मन्दिर	सोनभद्र
37.	रामलीला मन्दिर	सोनभद्र
38.	सराय बलुआ	चंदौली
39.	वाल्मीकी कुण्ड	चंदौली
40.	शंकर मन्दिर	चंदौली
41.	नियामताबाद शिव मन्दिर	चंदौली
42.	चक्रपीठ	सीतापुर
43.	सतरूपा एवं अयोध्या मन्दिर	सीतापुर
44.	दधीचि आश्रम	सीतापुर
45.	देवपुरी	सीतापुर
46.	बड़े शिवजी मन्दिर	भदोही
47.	शीतला माता मन्दिर	भदोही
48.	हरिहरनाथ मन्दिर	भदोही

विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा

जनपद नैमिषारण्य एक महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ पर वर्षपर्यन्त पर्यटकों का आवागमन होता है। पर्यटन विभाग द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ स्थल पर दशाश्वमेघ घाट एवं राजघाट का विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य रू. 5.51 करोड़ की लागत से कराया गया।

नैमिषारण्य तीथ स्थल के पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पॉथवे, विद्युतीकरण एवं बाउण्ड्री वॉल आदि का कार्य रू. 2.96 करोड़ की लागत से पूर्ण कराया गया।

जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्य एक महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जहाँ पर वर्तमान में ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्त्व के विभिन्न कुण्ड यथा – भरत कुण्ड, विभीषण कुण्ड, दातुन कुण्ड, ब्रह्म कुण्ड, लक्ष्मी सागर कुण्ड, देवकाली मंदिर, सूर्य कुण्ड, ज्वाला माई आदि का पर्यटन विभाग द्वारा अयोध्या–फैजाबाद विशेष पर्यटन परिपथ योजनान्तर्गत रू. 4.81 करोड़ की लागत से बाउण्ड्री वॉल, पॉथवे, रैनबसेरा, बेंच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रेनेज, सीढ़ियों पर पत्थर आदि का कार्य कराया गया।

वाराणसी में धार्मिक आस्था के प्रतीक–स्वरूप पावन गंगा का प्रवाह होता है। गंगा के प्रमुख घाटों पर वर्ष पर्यन्त देश एवं विदेश से पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। पर्यटन विभाग द्वारा रू. 3.13 करोड़ की लागत से वहाँ पर मूलभूत

सुविधाओं का सृजन, जैसे–पेयजल की व्यवस्था, चेंजिंग रूम, छतरी, स्टोन–सख्त, साईनेजेज, डस्टबिन, यूरिनल, बेन्चेज एवं स्मारकों पर ब्लू–प्लाक साईनेज आदि का कार्य कराया गया। स्मारकों पर ब्लू–प्लाक साईनेज आदि का कार्य कराया गया।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित घुईसरनाथ धाम हेतु प्रवेश द्वारा का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा रू. 0.24 करोड़ की लागत से कराया गया।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित घुईसरनाथ धाम पर श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं यथा – यात्री छादक, धर्मशाला, घाट हाईमास्ट लाईटिंग, इण्टरलॉकिंग एवं बेन्चेज आदि का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा रू. 3.50 करोड़ की लागत से कराया गया।

जनपद प्रतापगढ़ स्थित कुल देवी माता मन्दिर, डेरवा का पर्यटन विकास, यथा–बाउण्ड्री वॉल, एप्रोच रोड आदि का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा रू. 2.00 करोड़ की लागत से कराया गया।

जनपद फतेहपुर स्थित गंगा घाट (ओम घाट) स्थल, भिठौरा का पर्यटन विकास, यथा–एप्रोच रोड, सोलर लाईटिंक आदि का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा रू. 0.45 करोड़ की लागत से कराया गया।

पर्यटन उद्योग के साथ विचार–विमर्श हेतु एक सेमिनार दिनांक 23.06.2017 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रमुख होटल उद्यमियों, टुअर–ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेन्ट्स एवं अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा वारणसी–विन्ध्यांचल, इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा–वृंदावन, लखनऊ, अयोध्या, बुद्धिष्ट सर्किट आदि के लिये आकर्षक वेबसाइट का कन्टेंट तैयार कर लिया गया है तथा माह जून के अन्तिम सप्ताह में इसका बीटा वर्जन लान्च कर दिया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा में वन–स्टॉप ट्रैवेल सोल्यूशन पोर्टल के अन्तर्गत इनफारमेटिव वेब पोर्टल के बीटा वर्जन माह जून के अन्तिम सप्ताह में लान्च कर दिया जायेगा।

पर्यटन विभाग द्वारा उ.प्र. में पर्यटन की दीर्घकालीन ब्रैण्ड इमेज तैयार किये जाने हेतु पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर ली गई है।

अयोध्या के समुचित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराधमुक्त एवं पारदर्शी शासन देना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें जनसामान्य से सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जनता की अपेक्षाओं और जरूरतों पर खरा उतरने एवं विकास कार्यक्रमों को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता से सीधे संवाद स्थापित करें। जनता को समय से न्याय उपलब्ध कराएं और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री जनपद फैजाबाद में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सभागार में फैजाबाद मण्डल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था के मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन माफियाओं, खाद्यान्न माफियाओं और वन माफियाओं के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। बलात्कार, लूट व अन्य जघन्य एवं घृणित अपराधों के विरूद्ध भी कठोरतम कार्यवाही की जाए।

जेलों में बंद अपराधियों द्वारा जेल कर्मियों से साँठ–गाँठ करके जेल से संचालित होने वाली आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जेल कर्मियों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए योगी जी ने कहा कि जेलों में आधुनिक जैमर लगवाने के

विकास पर जोर

साथ ही जेलों का समय–समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाए। सभी प्रशासनिक, पुलिस व जनप्रतिनिधिगण बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुये शासन की मंशा के अनुसार भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करें, जिससे आम जनता में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास बढ़े। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों एवं जनता के हर कार्य के आवेदन पत्र को रिसीव कर त्वरित कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फैजाबाद मण्डल व जनपद संवेदनशील है। अतः यहां विशेष रूप सें सजगता व तत्परता बरती जाये। छोटी सी छोटी घटना को गम्भीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की जाये। पेशेवर अपराधियों का चिन्हीकरण कर उनकी पुरानी हिस्ट्री चेक करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। महिलाओं, बालिकाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की पैदल गश्त और डायल 100 की सेवाओं को प्रभावी बनाया जाये। एन्टी रोमियो स्क्वॉड को प्रभावी बनाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसका दुरूपयोग न होने पाये।

योगी ने कहा कि हाइवे पर हत्या, लूट व अन्य घटनायें घटित न होने पाये अन्यथा कड़ी कार्यवाही होगी। पशु तस्करी, वाहन लूट आदि को भी सख्ती से रोका जाये। बैंक जाते समय डकैती व लूटपाट की घटनाएं न हो। अच्छा कार्य करने वाले थानाध्यक्षों को चिन्हित कर उन्हें संवेदनशील थानों में तैनात किया जाये। पेशेवर अपराधियों के साथ मिली भगत करने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य वाहनों में भी रेफ्लेक्टर लगवाया जाए, साथ ही दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हैलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से पूर्वान्ह 9 से 11 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई कर उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों की उपज का समय से क्रय सुनिश्चित करने और यथाशीघ्र किसानों को उपज मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूँ खरीद कार्य में किसी प्रकार की परेशानी किसानों को नहीं होनी चाहिए।

योगी ने कहा कि तहसील दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाते हुये आम जनता की शत–प्रतिशत शिकायतों को दूर किया जाए, जिससे प्रदेश के दूरवर्ती जनपदों के लोगों को अनावश्यक लखनऊ न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि तहसील व थाना दिवस में आम जनता से सीधे संवाद होता है। जनप्रतिनिधिगण भी इनमें उपस्थित हों। तहसील, थाने व जनपदीय कार्यालय साफ सुथरे हों और फरियादियों के बैठने की भी समुचित व्यवस्था हो। तहसील दिवस के दिन छात्रों व आम जनता के आवश्यक प्रमाण–पत्र भी 1 से 3 दिनों के अन्दर बनवाने की व्यवस्था उच्चाधिकारी सुनिश्चित करें।

विद्युतीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने रोस्टर के अनुसार शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2017 तक सभी लक्षित गांवो में विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाए। सांसद आदर्श ग्रामों में विद्युतीकरण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण कार्य में तेजी लायी जाए। मण्डल में सड़कों की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सड़कों के टेण्डर में ब्लैक लिस्टेड फर्म का टेण्डर कतई न होने दें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो में गुणवत्ता से समझौते की शिकायत प्राप्त होने पर वर्तमान सरकार विजलेंस से जांच कराने में भी पीछे नहीं हटेगी।

सड़कों को निर्धारित समय में गड्ढामुक्त कराने और गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के कार्य को अभियान के रूप में लिया है। इसलिए समस्त सड़कें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर गड्ढामुक्त करा दी जायें। पी.डब्लू.डी., आर.ई.एस., मण्डी परिषद, पी.एम.जी.एस.वाई., नगर पालिका, नगर निकाय, गन्ना, सिंचाई आदि विभाग के तहत बनने वाली सड़कों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ गड्ढामुक्त व नवीनीकरण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मण्डल में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी व चिकित्सक अपने कमरों से बाहर निकलें और फील्ड में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लायें। वरिष्ठ चिकित्सक पी.एच.सी., सी.एच.सी. एवं जिला चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर अस्पतालों में डाक्टरों व अधीनस्थ स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है इसमें सभी स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। मरीजों को समय से इलाज, दवायें आदि सुनिश्चित करायी जाए तथा चिकित्सक एवं पैरामेडिकल उनसे अच्छा व्यवहार करें। साफ–सफाई आदि हेतु भी उच्चाधिकारी समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी करें।

विकास कार्यो की समीक्षा करते हुये योगी जी ने कहा

- **प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराधमुक्त एवं पारदर्शी शासन देना वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री**
- **अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर जनता से सीधे संवाद स्थापित करें।**
- **कानून व्यवस्था के मामलों में जीरो टालरेंस की नीति अपनाने का निर्देश।**
- **खनन माफियाओं, खाद्यान्न माफियाओं और वन माफियाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**
- **फैजाबाद मण्डल व जनपद में विशेष रूप से सजगता व तत्परता बरती जाए।**

कि सभी निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। आपदा राहत के मामलों में पीड़ितों को त्वरित भुगतान किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का जनपदों में त्वरित क्रियान्वयन हो। इससे सम्बन्धित सांसद व विधायकगण की बैठकें निर्धारित समय पर सुनिश्चित की जाएं। उन्होनें कहा कि इस योजना में यदि कोई गड़बड़ी पायी गयी तो जांच सीधे सी.बी.आई. को भेज दी जायेगी। कोई भी जनप्रतिनिधि ठेकेदारी नहीं करेगा और अपराधी और दागी फर्मों को ठेके न दिए जाएं। जिला मुख्यालय पर 24, तहसीलों में 20 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर 48 घण्टे तथा नगरीय क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर बदलने के लिए टोल–फ्री नम्बर–1912 पर फोन की सुविधा की जानकारी आमजन तक पहुंचायी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग का नया सत्र जुलाई माह से प्रारम्भ हो रहा है। गांवो में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाया जाये तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र व शिक्षकों का अनुपात सही रखा जाये। सभी अधिकारी व जन–प्रतिनिधिगण एक–एक विद्यालय गोद लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाये, गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो यह सबके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जल निगम की पाइप पेयजल योजना की स्थिति ठीक नहीं है, इसमें सुधार लाया जाए। लोग पाइप लाइन से कनेक्शन लें व जलजनित बीमारियों से बचें।

योगी ने कहा कि पंचायतीराज विभाग गांवो को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाये और 2 अक्टूबर 2018 तक सभी गांवो को इस योजना से आच्छादित करने के लिए ग्राम वालों को प्रेरित करें और लाभार्थी को समय से 12 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान करें। शौचालयों के निर्माण के साथ लोग इसका प्रयोग भी करें। स्वच्छता के लिए प्रशासन खनन वाले जनपदों में जिला खनन निधि बना कर कार्य करें। मण्डल में बाढ़ से केवल दो जनपद बाराबंकी और अम्बेडकरनगर नगर प्रभावित होते अतः इसकी कार्य योजना बनाकर कम से कम नुकसान होने दिया जाये। इसके अलावा, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, मनरेगा, अमृत योजना, स्वदेश दर्शन योजना, अयोध्या– फैजाबाद में एस.टी.पी. का निर्माण, सरयू नदी में नालों के गिरने पर रोक, एन.एच.ए.आई., पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि की भी विस्तृत समीक्षा कर इन योजनाओं में भी गतिशीलता लाने के निर्देश दिए।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने अयोध्या जाकर हनुमान गढ़ी, श्रीराम जन्म भूमि का दर्शन किया तथा पवित्र सरयू नदी में जल आचमन के साथ ही आरती तथा राम की पैड़ी का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में सड़कों की मरम्मत व निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राम की पैड़ी का विस्तार एवं मरम्मत करायी जाएगी। उन्होंने राम की पैड़ी में

- **मुख्यमंत्री ने अयोध्या जाकर हनुमान गढ़ी, श्रीराम जन्म भूमि का दर्शन तथा पवित्र सरयू नदी की आरती तथा राम की पैड़ी का निरीक्षण किया।**
- **अयोध्या के समुचित विकास पर 350 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।**
- **अयोध्या में एल.ई.डी. के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जाएगी।**
- **5 कोसी, 14 कोसी व 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।**
- **राम की पैड़ी में अनवरत सरयू नदी के जल के प्रवाह के लिए सिंचाई विभाग को प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश।**
- **रामकथा संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से सम्पूर्ण रामकथा का प्रदर्शन होगा।**
- **45 करोड़ रु. से लक्ष्मण किला व गुप्तारघाट का विस्तार कराया जाएगा।**
- **परमहंस जी महाराज के समाधि स्थल का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा।**
- **मुख्यमंत्री ने फैजाबाद में नये पासपोर्ट सेवा केन्द्र का किया शुभारम्भ।**
- **सरयू में गिर रहे नाले के पानी को ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा शोधित कर नहर के माध्यम से खेतों की सिंचाई में उपयोग किया जायेगा।**
- **सरयू की महाआरती व सरयू महोत्सव में राज्य सरकार सहयोग करेगी।**
- **अच्छा कार्य करने वाले थानाध्यक्षों को चिन्हित कर उन्हें संवेदनशील थानों में तैनात किया जाए।**
- **सभी निर्माण कार्यो में गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।**
- **मुख्यमंत्री ने फैजाबाद मण्डल के विकास कार्यो एवं कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा।**

सरयू नदी के जल के अनवरत प्रवाह के लिए सिंचाई विभाग को प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सरयू जी की धारा में हुए बदलाव के कारण छूट गए प्राचीन घाटों जैसे प्रहलाद घाट, चक्रतीर्थ, कौशल्या घाट, कैकयी घाट आदि को जीवन्त करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर स्थित भवन एक तरह के होंगे। सरयू में गिर रहे नाले व नाली के पानी का ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा शोधित कर नहर के माध्यम से खेतों की सिंचाई में उपयोग किया जायेगा। सरयू की महाआरती व सरयू महोत्सव में राज्य सरकार सहयोग करेगी।

समीक्षा बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री ने दीनबन्धु नेत्र चिकित्सालय जाकर अस्पताल की व्यवस्था के निरीक्षण के साथ भर्ती मरीजों का भी हाल–चाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सन्यास का पहला धर्म ही सेवाभाव करना है। दीनबन्धु चिकित्सालय इसका एक बड़ा उदाहरण है। राज्य सरकार अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी व अन्य स्थानों पर चेन्नई जैसी नेत्र चिकित्सा व्यवस्था के लिए सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि अभी तक अयोध्या धाम की उपेक्षा होती रही है अब नहीं होगी। अयोध्या के समुचित विकास पर 350 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। अयोध्या में एल.ई.डी. के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। 5 कोसी, 14 कोसी व 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। अयोध्या में मीडिया सेण्टर का निर्माण कराया जाएगा। भारत सरकार अयोध्या धाम से जनकपुर धाम तक 2 लेन की सड़क का निर्माण करा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामकथा संग्रहालय, ओपेन एयर थिएटर का समेकित विकास किया जाएगा। रामकथा संग्रहालय में डिजिटल माध्यम से सम्पूर्ण रामकथा का प्रदर्शन होगा। 45 करोड़ रुपए से लक्ष्मण किला व गुप्तारघाट का विस्तार कराया जाएगा। रामघाट के लिए प्रकाश व्यवस्था व सड़क की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या में एस.टी.पी. की व्यवस्था की जाएगी। पुराने बस स्टेशन पर पार्किंग व जन सुविधा केन्द्र का निर्माण होगा। परमहंस जी महाराज के समाधि स्थल का सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा। मुख्यमंत्री जी महन्त श्री नृत्य गोपालदास जी के जन्मोत्सव समारोह में भी शामिल हुए। इसके उपरान्त उन्होंने प्रधान डाक घर फैजाबाद पहुंचकर वहां दीप प्रज्ज्वलित नया पासपोर्ट सेवा केन्द्र का भी शुभारम्भ किया।

100 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये महत्त्वपूर्ण फैसले

- लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ।
- गेहूँ के समर्थन मूल्य में वृद्धि।
- 80 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य।
- पिछले सीजन के मुकाबले ढाई गुना ज्यादा गेहूँ की खरीद।
- जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति।
- पिछले दो महीने में गन्ना किसानों को रू. 22 हजार करोड़ गन्ना बकाये का भुगतान।
- नई औद्योगिक एवं खनन नीति शीघ्र।
- 15 जून 2017 तक प्रदेश की डेढ़ लाख किमी. सड़कों को गड्ढामुक्त किया जायेगा।
- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल के विकास के लिए ठोस कदम।
- बुन्देलखण्ड की पेयजल समस्या के समाधान के लिए पाइप पेयजल परियोजनाओं पर तेजी से कार्य।
- दिव्यांगजन पेंशन रू. 300 से बढ़ाकर रू. 500 की गई।
- एडवांस लाईफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त 150 एम्बुलेन्स जनता को समर्पित।
- पुलिस विभाग में डेढ़ लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती का निर्णय। प्रति वर्ष 30 हजार कांस्टेबल एवं दो हजार उप पुलिस निरीक्षकों की भर्ती की जायेगी।
- ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए 27 लाख आवास का लक्ष्य।
- कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए अनुदान राशि रू. 50 हजार से बढ़ाकर रू. एक लाख की गई।
- गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण का निर्णय।
- अयोध्या–फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर अयोध्या नगर निगम का गठन।
- मथुरा–वृन्दावन नगर पालिका परिषद को मिलाकर मथुरा–वृन्दावन नगर निगम का गठन।
- अवैध पशु वधशालाओं पर रोक।
- एण्टी रोमियों स्क्वायड का गठन।
- एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन।
- अगले 5 वर्षों में 25 मेडिकल कालेज की स्थापना का निर्णय।
- प्रदेश के 6 क्षेत्रों में एम्स स्तर के संस्थानों की विकास योजना।
- ठेले, खोमचे व पटरी व्यापारियों के लिए नई फेरी नीति।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष 2017 को 'गरीब कल्याण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय।
- आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर लाल एवं नीली बत्ती के प्रयोग पर रोक।
- 220 दिनों का शैक्षिक कैलेन्डर लागू करने का निर्णय।
- 1 से 20 जुलाई के बीच स्कूली बच्चों को यूनिफार्म, जूते, पाठ्य–पुस्तक एवं बैग वितरण का निर्णय।
- राज्य के तीर्थ स्थलों को 4 लेन सड़क से जोड़ने का निर्णय।
- अर्धकुम्भ 2019 के समस्त कार्य अक्टूबर 2018 तक पूर्ण करने का निर्णय।

एक क्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक 2017 (जी.एस.टी. बिल) के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों की अधिकता और विसंगतियां हमेशा ही चिन्ता का विषय रही हैं। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही प्रभावित रहे हैं। साथ ही, केन्द्र और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी दिक्कतें होती थीं। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. के लागू होने से अब सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में वस्तु और सेवाओं पर लगने वाले करों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के बाद करों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से जी.एस.टी. लागू करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक सुधारों को लागू करने के दृष्टिगत जी.एस.टी. पर वर्ष 2014 से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

योगी ने कहा कि इस बिल को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है और अब देश के सबसे बड़े राज्य की विधान सभा द्वारा भी इसे पारित किया जा चुका है। यह बिल देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। विभिन्न प्रकार के करों की बहुलता के कारण व्यापारी और उपभोक्ता दोनों परेशान थे, जी.एस.टी. लागू होने से दोनों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. एक क्रान्तिकारी कदम है, जिसके लागू होने से विभिन्न केन्द्रीय कर जैसे–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दवाओं–प्रसाधनों पर लगने वाला अतिरिक्त उत्पाद कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय अधिशुल्क और उपकर के अलावा राज्य में लगने वाले वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, स्थानीय कर इत्यादि समाप्त हो जाएंगे। राज्य में लगने वाले विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय और राज्य करों की एकरूपता की दिशा में जी.एस.टी. काउन्सिल और उत्तर प्रदेश सरकार (जिसमें प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार और जी.एस.टी. काउन्सिल के मध्य हुई 11 मीटिंग सम्मिलित हैं) के मध्य हुई बैठकों में दिये गये प्रस्तावों पर काउन्सिल द्वारा सहमति दी जा चुकी है।

योगी ने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने से सामाजिक समता के साथ–साथ आर्थिक समता भी आएगी। उन्होंने कहा

कि देश के सभी राज्यों की विधायिकाओं पर इस बिल को पारित करने का उत्तरदायित्व है, ताकि इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में जी.एस.टी. बिल को पारित कराये जाने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर प्रणाली की एकरूपता बनाये रखने के लिए संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 229ए के माध्यम से जी.एस.टी. काउन्सिल का गठन किया गया है, जिसे सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर संस्तुति करने का अधिकार प्राप्त है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. को पारित कर भारत की संसद में आर्थिक संघवाद की एक नई और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जी.एस.टी. 1 जुलाई, 2017 से तभी लागू हो पाएगा, जब देश के सभी राज्यों की विधान सभाएं इसे पारित कर देंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जी.एस.टी. लागू करने के लिए सी.जी.एस.टी. व आई.जी.एस.टी. एक्ट संसद द्वारा पारित किये गये हैं। इन्हें राज्य में भी पारित किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि यह महत्त्वपूर्ण विधेयक हैं और आर्थिक सुधारों में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक सुधारों की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जी.एस.टी. व्यापारी तथा उपभोक्ता दोनों के हित में है।

योगी ने कहा कि जी.एस.टी. बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व का घाटा अवश्य होगा, क्योंकि अनाजों पर लगने वाले सभी कर समाप्त हो जाएंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों को होने वाली राजस्व हानियों की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त पूरा देश एक वृहत मार्केट बन जाएगा। माल की ढुलाई के दौरान राज्यों की सीमाओं पर होने वाली दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी और मानव हस्तक्षेप कम हो जाएगा। वस्तुओं की आवाजाही के बैरियर समाप्त हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्था मैकेनाइज्ड ढंग से की जाएगी, जिससे कर चोरी रुकेगी। क्योंकि कर इतना अधिक नहीं होगा कि व्यापारी इसे भरने से डरे। जी.एस.टी. के अन्तर्गत व्यापारी को कर जमा करने के लिए जगह–जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

- **जी.एस.टी. बिल देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण आधार है ।**
- **जी.एस.टी. एक क्रान्तिकारी क़दम है।**
- **विभिन्न प्रकार के करों की बहुलता के कारण व्यापारी और उपभोक्ता दोनों परेशान थे, जी.एस.टी. लागू होने से दोनों को राहत मिलेगी।**
- **जी.एस.टी. लागू होने से सामाजिक समता के साथ–साथ आर्थिक समता भी आएगी।**
- **अनाजों पर लगने वाले सभी कर समाप्त हो जाएंगे, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।**

प्रदेश सरकार समग्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अवधारणा 'सबका साथ, सबका विकास' पर चलते हुए प्रदेशवासियों को सुशासन देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबके विकास, उत्थान और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। पिछले 15 वर्षों के दौरान प्रदेश की जनता सुशासन, प्रगति, विकास जैसे शब्दों के अर्थ को भूल गई थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही यहां के नौजवानों को रोजगार दिलाने की दिशा में कोई कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने यह विचार स्थानीय ताज होटल में न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा आयोजित ''राइजिंग उत्तर प्रदेश–2017'' कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सबका विकास नवगठित सरकार का पहला लक्ष्य है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। सरकार के गठन के समय लोगों को कुछ आशंकाएं भी थीं, जो निर्मूल साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते प्रदेश में विकास ठप्प हो चुका है और हमारे सामने अनेक चुनौतियां मौजूद हैं।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार को एक बिगड़ी और जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली है, जिसमें संगठित अपराधी और माफिया हावी थे। नई सरकार इन सबको एक–एक कर गिरफ्त में ले रही है और इनसे सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में अपराधी बच नहीं पाएंगे। राज्य सरकार उन्हें पाताल से निकालकर सख्त कार्यवाही करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी, ताकि प्रदेश के नौजवानों की हताशा दूर हो और उन्हें रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधनों तथा उपजाऊ जमीन से परिपूर्ण राज्य है। ऐसे में यहां के किसान यदि आत्महत्या करें, तो प्रश्न उठने

विकास हेतु तत्पर

स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते यहां के किसानों का उत्थान नहीं हो सका, जिसके कारण उनमें खुशहाली नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋणों को माफ कर दिया गया है। गेहूं किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में गेहूं क्रय किया जा रहा है, जिसके लिए 5,000 गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते मात्र दो महीने के अन्दर गन्ना किसानों के 22 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान कराया जा चुका है, बाकी के 3000 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान भी शीघ्र हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के विकास और आर्थिक उत्थान के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी। अच्छी उपज पाने के लिए किसानों को उन्नतशील बीज, आधुनिक तकनीक मुहैया कराने के साथ–साथ स्वॉयल टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में मौजूद कृषि विद्यालयों के तहत स्थापित विज्ञान केन्द्रों को प्रभावी बनाया जाएगा, साथ ही ऐसे 20 नए केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार के इन प्रयासों से किसानों में खुशहाली और समृद्धि आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता सम्भालते ही प्रदेश से वी.आई.पी. कल्चर समाप्त कर दिया है। पिछली सरकार के दौरान प्रदेश के 5 जिलों को 24 घण्टे बिजली दी जाती थी, जबकि अन्य जिले अंधेरे में रहते थे। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 20 घण्टे तथा गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर खराब होने की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में इन्हें बदलने की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही, गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं।

योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश की सड़कों को 15 जून तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कों की जर्जर अवस्था के लिए विगत सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसके कार्यकाल के दौरान पैसा खर्च होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत ठीक से सुनिश्चित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के बगैर विकास और खुशहाली का सपना पूरा नहीं हो सकता।

- **राज्य सरकार प्रधानमंत्री की अवधारणा 'सबका साथ, सबका विकास' पर चलते हुए प्रदेशवासियों को सुशासन देगी : मुख्यमंत्री**
- **प्रदेश सरकार सबके विकास, उत्थान और प्रगति के लिए कार्य कर रही है।**
- **पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते प्रदेश में विकास ठप्प हो चुका है और हमारे सामने अनेक चुनौतियां मौजूद हैं।**
- **राज्य सरकार को बिगड़ी और जर्जर व्यवस्था विरासत में मिली है।**
- **राज्य सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी।**
- **पिछली सरकारों की गलत नीतियों के चलते यहां के किसानों का उत्थान नहीं हो सका।**
- **राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।**
- **नई सरकार अपराधियों से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है।**
- **राज्य सरकार के प्रयासों के चलते मात्र दो महीने के अन्दर गन्ना किसानों के 22 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान सुनिश्चित किया गया।**
- **प्रदेश की सड़कें 15 जून तक गड्ढामुक्त हो जाएंगी।**
- **मुख्यमंत्री ने न्यूज नेटवर्क 18 द्वारा आयोजित 'राइजिंग उत्तर प्रदेश–2017' कार्यक्रम को किया सम्बोधित।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की लापरवाही के चलते प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब हम इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के छात्र बाहर जाकर प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाते हैं। शिक्षा की बेहतरी के लिए राज्य सरकार पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार इसके लिए भी प्रयासरत है। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से राज्य में एण्टी रोमिया स्क्वॉयड गठित किए गए हैं। पिछले शासन के दौरान पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था, जिसके चलते ऐसे तत्वों को शह मिली हुई थी और वे निर्बाध रूप से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। राज्य सरकार के इस कदम से अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

योगी ने कहा कि एन.जी.टी. तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बिना देर किए बन्द करवा दिया है। राज्य सरकार के इस कदम की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कहा कि विगत सरकारों द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां घोषित करने का फैशन सा चल गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने ऐसे सभी अवकाशों को खत्म कर करके इस प्रथा को समाप्त कर दिया है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। अब स्कूलों में पढ़ने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध होगा। इसी प्रकार कार्यालयों में लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए अधिक समय मिलेगा। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि इन महापुरुषों के विषय में विद्यार्थियों को पूरी जानकारी दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पाठ्यक्रम में देश के अन्य प्रान्तों की भाषाओं के पठन–पाठन की भी व्यवस्था कर रही है। इसी प्रकार अन्य विदेशी भाषाओं को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक एम.ओ.यू. साइन किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मराठी पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र के छात्र अपनी पसन्द से हिन्दी पढ़ सकेंगे।

योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अभी मात्र दो महीने ही हुए हैं, परन्तु वह जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही है। उन्होंने समाचार चैनलों पर अपराधियों के महिमा मण्डन न किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण विकास के लिए रोडमैप बनाकर काम कर रही है।

उनका जीवन परिचय विद्यालयों की गैलरियों में लगाने के निर्देश ताकि छात्र-छात्राएं उनकी शौर्य गाथाओं से परिचित हो सके।

10वीं व 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं का नकलविहीन संचालन।

147 मेधावी छात्र-छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु अब तक 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

प्रदेश का सर्वांगीण विकास होना आवश्यक – मुख्य सचिव

■ **प्रदेश में भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए डी.एम.–पुलिस अध्किारी एक साथ करें क्षेत्र का भ्रमण – राजीव कुमार**

■ **किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय मोबाइल नम्बर स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को दिये कड़े निर्देश।**

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के लिये प्रत्येक जिले का सर्वागीण विकास हेाना आवश्यक है। प्रत्येक जनपद में विकास योजनाओं में और अधिक गति देने के लिये जनपदीय अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करना होगा। आम जनता को यह एहसास कराना आवश्यक है कि जनपद के विकास के लिये जिलाधिकारी , पुलिस अधिकारी एवं तहसील, ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर टीम भावना से कार्य कर रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कहा, विकास योजनाओं को नियमित मानक एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में कोई कोर कसर न छोड़ी जाये। अधिकारियों को नियमों के तहत पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की जो छूट वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, उसका पूर्ण लाभ उठाते हुए आम जनता को एहसास कराये कि मण्डल, जनपद एवं तहसीलों एवं ब्लॉक स्तर पर तैनात अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि आम नागरिकों के साथ मधुर व्यवहार कर उनकी बात शालीनता से सुनकर यथाशीघ्र नियमानुसार निस्तारित कराकर फरियादी को अवगत करायें। प्रदेश में हो रही वर्षा से संभावित बाढ़ को देखते हुए मुख्य सचिव ने कहा, बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँव के लोगों की सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराई जाये। संभावित बाढ़ से बचाव के लिए पीएसी नाव की उपलब्धता न होने पर कुशल तैराकों सहित आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था भी समय से सुनिश्चित करा ली जाये, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न होने पाये। उन्होंने कहा, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घन्टे क्रियाशील रखते हुए आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री, दवाइयां सहित अन्य सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी जाये।

फरियादियों को न आना पड़े लखनऊ

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि जनपद एवं तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर हल होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये किसी भी नागरिक को विवश होकर मण्डल मुख्यालय अथवा लखनऊ न आना पड़े। शिकायतकर्ता की समस्या स्थानीय स्तर पर न सुनने की जानकारी की पुष्टि होने पर सम्बन्धित अधिकारी अथवा कर्मी को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये, तहसील एवं थाना स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान दिवसों पर आम नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जाये।

सरकारी नम्बर न करें बन्द

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का शासकीय नम्बर स्विच ऑफ कतई नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपना मोबाइल फोन सदैव ऑन रखे तथा अपने पास रखें एवं स्वयं उठाना सुनिश्चित करे, यदि व्यस्ततावश मोबाइल स्वयं रिसीव करने की स्थिति में न हों तो अपने अधीनस्थ को मोबाइल रिसीव करने के लिये अवश्य निर्देशित कर दें। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने शासकीय दायित्त्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ प्रत्येक दशा में कर आम नागरिक के साथ मधुर व्यवहार से पेश आयें।

मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से हो लागू

मुख्य सचिव ने कहा कि विकास योजनाओं को गति देने के लिए जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाये। जिलाधिकारी मासिक स्टाफ मीटिंग कर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं एवं परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के लिये मॉनिटरिंग व्यवस्था कड़ाई से लागू करें।

निःशुल्क चिकित्सा प्रचार–प्रसार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से औचक निरीक्षण कराए जाएं। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उसकी प्रगति की विस्तृत आख्या प्रत्येक माह उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय, मण्डलीय एवं जनपदीय तथा ब्लॉक स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित रूप से निर्धारित समय में अवश्य आयोजित कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाने वाली बैठकें इस प्रकार से आयोजित की जाएं, ताकि गठित समितियों के चिकित्सक सदस्यों की निर्धारित ड्यूटी में कोई व्यवधान न आए और वे मरीजों की देखभाल भी सुनिश्चित कर सकें।

मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में आयोजित राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को दी जा रही निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार हो। आम नागरिकों को सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगवाई जाएं, ताकि आम

सेवाओं के व्यापक पर जोर

नागरिक योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि शासकीय धन का दुरुपयोग कतई नहीं होने दिया जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने एन.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश दिए कि भर्तियां नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत कराई जाएं। उन्होंने कहा कि जांच करने पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सम्बन्धित अधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

श्री योगी ने प्रदेश में लिंगानुपात के गिरते स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिए कि राज्य में अनियमित रूप से की जा रही भ्रूण लिंग जांच पर प्रभावी अंकुश लगाने का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में विशेष तौर से लिंगानुपात में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, उन जनपदों में यह अनुपात बढ़ाने की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल स्तरीय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस इकाइयां तत्काल स्थापित कराकर आगामी माह जुलाई तक डायलिसिस की सेवाएं प्रत्येक दशा में पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने प्रदेश के 14 चिकित्सालयों में जुलाई माह से एवं अन्य शेष चिकित्सालयों में सितम्बर, 2017 से सी.टी. स्कैन कैटेगरी–1 के अन्तर्गत पी.पी.पी. मॉडल पर सी.टी. स्कैन सेवाएं उपलब्ध कराने में आम जनता के साथ चीटिंग कतई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध कराई जा रही फ्री डायग्नोस्टिक, एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन सेवाओं की लागत में कमी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी स्टाफ की उपस्थिति सम्बन्धित चिकित्सालयों में अनिवार्य रूप से कराने के साथ–साथ उन्हें अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन करना होगा। उन्होंने प्रदेश के 52 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में फ्री डायग्नोस्टिक सेवाओं की सुविधा आगामी 30 मई तक सभी स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाए जाने के सम्बन्ध में हर सम्भव प्रयास किए जाएं। साथ ही, नवजात शिशु मृत्यु दर और सकल प्रजनन दर के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की दिशा में कार्यवाही की जाए। उन्होंने सिक न्यू बॉर्न केयर इकाई, पोषण पुनर्वास केन्द्र, होम डेज न्यू बॉर्न केयर कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की भी समीक्षा करते हुए इन्हें और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्र में प्रतिमाह कैम्पों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए।

श्री योगी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से संचालित संचारी व गैर संचारी रोगों के नियंत्रण सम्बन्धित कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों में स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इस रोग के सम्बन्ध में वैक्सीन के प्रति जागरूकता

उत्पन्न किए जाने के कार्यक्रम चलाए जाएं, जिसमें विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि फील्ड स्तर के कर्मियों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, जिसकी मॉनीटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों खासतौर से गरीब और कमजोर वर्गों को प्रभावी और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जो क्षेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि से उपेक्षित हैं, वहां पर 100 दिनों की कार्य योजना के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सुविधाएं प्राथमिकता के स्तर पर पहुंचाने के कार्य सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने वर्ष 2010–11 से संचालित 133 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई विधिक बाधा न होने की जानकारी विभाग को वर्ष 2014 में उपलब्ध होने के बावजूद भी लगभग 03 वर्षों तक विभागीय प्रस्ताव न प्रस्तुत किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि ऐसी कार्यशैली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 150 अन्य मेडिकल मोबाइल यूनिट्स के संचालन की कार्यवाही शीघ्रता से की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के हित में योजनाओं के क्रियान्वयन में समय से आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में तेजी लानी होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सम्बन्धित अधिकारियों एवं चिकित्सकों का दायित्व है, जिसमें लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

श्री योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर टीकाकरण सत्र आयोजित कर टीकाकरण सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बच्चों एवं किशोरों को स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी चिकित्सकों द्वारा भी स्वैच्छिक योगदान को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में कार्य किए जाएं।

- **मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से औचक निरीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए।**
- **सम्बन्धित जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं उसकी प्रगति की विस्तृत आख्या प्रति माह उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।**
- **एन.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा के आधार पर की जा रही नियुक्तियां नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत कराई जाए।**
- **जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिए।**
- **राज्य में अनियमित रूप से की जा रही भ्रूण लिंग जांच पर प्रभावी अंकुश लगाने का अभियान चलाया जाए।**
- **प्रदेश के 52 जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में फ्री डायग्नोस्टिक सेवाओं की सुविधा आगामी 30 मई तक सभी स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध कराने के निर्देश।**
- **फ्री डायग्नोस्टिक, एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन सेवाओं की लागत में कमी लाए जाने के निर्देश।**
- **वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जनपदों में स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा मुहैया कराने के निर्देश।**
- **मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाने के हर सम्भव प्रयास किए जाएं।**
- **सिक न्यू बॉर्न केयर इकाई, पोषण पुनर्वास केन्द्र, होम डेज न्यू बॉर्न केयर कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के निर्देश।**
- **मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यों की समीक्षा की।**

अपराधियों से सख्ती से निपटने को तैयार प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयुक्त सभागार में कानून–व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के निवारण के लिए शासन स्तर पर सीएम हेल्पलाइन खुलेगी तथा तहसील में सर्विस सेण्टर खुलेंगे। उन्होंने अधिकारियों को एण्टी भूमाफिया टीम गठित कर भूमाफियाओं, खनन माफियाओं व अन्य संगठित माफियाओं को चिन्हित कर कार्यवाही करने, एण्टी रोमियो स्क्वाड को नियमानुसार प्रभावी रूप से संचालित करने, अवैध बूचड़खानों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, तहसील दिवस व थाना दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में आयोजित करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एक–एक विद्यालय को गोद लेने के निर्देश देते हुए कहा कि परिवर्तन के लिये राज्य सरकार का गठन हुआ है और प्रदेश सरकार परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने साम्प्रदायिक हिंसा व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को चिहिन्त कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने, एण्टी भू–माफिया टीम गठित कर भू–माफियाओं, खनन माफियाओं व अन्य –संगठित माफियाओ को चिन्हित कर कार्यवाही करने, सार्वजनिक व सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे कब्जामुक्त कराने व अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री ने एण्टी रोमियो स्क्वाड के प्रभावी संचालन के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस व्यवस्था से किसी का उत्पीड़न न हो, साथ ही महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में बालिका विद्यालयों व महाविद्यालयों के बाहर तैनात कर छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खानों के विरूद्ध एनजीटी व मा. उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के साथ व्यवस्थित पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बसाने का होना चाहिए, उजाड़ने का नहीं।

श्री योगी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम व रैली आयोजित नही होनी चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए। जन–प्रतिनिधियों से परस्पर समन्वय व बेहतर

संवाद स्थापित कर कार्य करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के लिये वर्तमान प्रदेश सरकार का गठन हुआ है और सरकार परिवर्तन चाहती है। इसलिये सभी अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप इस प्रकार कार्य करें कि 100 दिनों में परिवर्तन नजर आने लगे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन जमीन पर दिखाई भी देना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यशैली में बदलाव लाकर परिवर्तन की रफ्तार में सहभागी बनने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तहसील दिवस व थाना दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा शासन स्तर पर जनता की समस्याओं के निवारण के लिए सीएम हेल्प लाइन खुलेगी। उन्होंने कहा कि तहसील दिवस पर जन–प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करें ताकि समस्याओं का निस्तारण त्वरित गति से हो सके। उन्होंने बताया कि तहसील में सर्विस सेन्टर बनाने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है ताकि विभिन्न प्रमाण–पत्र व अन्य चीजों के निस्तारण के लिये एक केन्द्र स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि डायल 100 के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस थानों में परस्पर समन्वय का अभाव है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कि यदि आप लोग जनता की समस्याओं का पूरे मनोयोग से निस्तारण करेंगे तो जनता आपको सहयोग देगी और जनता का सहयोग जानकारी प्राप्त करने के लिये बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है।

श्री योगी ने कहा कि जिन पुलिस कर्मियों के आपराधिक व असामाजिक तत्वों से सम्बंध हैं उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें। अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में पैदल चलकर वस्तु–स्थिति का मुआयना करें ताकि समस्याओं का निस्तारण और प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि प्रति दिन उनके सरकारी आवास पर जनता दर्शन में 05 से 06 हजार लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं जो इस बात को इंगित करता है कि निचले स्तर पर प्रभावी सुनवाई नहीं की जा रही है, इसको बदलना होगा।

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रातः 09 से पूर्वान्ह 11 बजे तक कार्यालयों में बैठकर जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पिछले दिनों की सहारनपुर की घटना पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी कानून को अपने हाथ में ले उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायें। उन्होंने कहा कि जातीय और साम्प्रदायिक हिंसा न हो यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए।

श्री योगी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक घर तक बिजली पहुँचे यह सुनिश्चित करें। खराब ट्रांसफॉर्मर को शहरी क्षेत्र में 24 घंटे में व ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे मे बदलवाना सुनिश्चित किया जाए। जिस क्षेत्र मे बिजली कटौती की जाती है, वहां के क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना पूर्व में दी जानी चाहिए। लाइन लॉस कम होना चाहिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों या जन–प्रतिनिधियों अथवा उनके रिश्तेदारों को विद्युत विभाग के ठेके न दिये जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों पर विद्युत विभाग द्वारा तार बिछाये जा रहे है या सड़कों पर गड्ढे किए जाते हैं, उसे प्रशासन के साथ मिलकर अवश्य ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के तारों द्वारा फसलों को जो नुकसान होता है उसका मुआवजा किसानों को एक सप्ताह के अन्दर मिल जाना चाहिए तथा किसान परेशान न हों, यह सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मिलें समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। अगर भुगतान करने में कोई समस्या है तो गन्ना मंत्री से मिलकर समस्याओं का समाधान करें, लेकिन किसी भी स्थिति में किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसात से पूर्व सड़कों पर पैचवर्क कर उनको ठीक करें तथा सड़कों को गडढ़ा मुक्त करें।

मुख्यमंत्री ने घटते लिंगानुपात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए मंडल के जनपद बागपत व बुलन्दशर में गोष्ठी, नाटक, अपील आदि के माध्यम से व्यापक जनजागरण करने, ग्रामो में संगोष्ठी का आयोजन करने तथा भ्रूण हत्या में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

श्री योगी ने स्वच्छता कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में चलाकर कार्यालयों, थानों, जिला अस्पताल आदि में साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विद्यालायों मे अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा शहरी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थानातरित करें क्योकि शहरी क्षेत्र मे बच्चे कम और अध्यापक ज्यादा हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे ज्यादा और अध्यापक कम हैं। उन्होंने आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक विद्यालयों में ड्रेस व किताबे आदि उपलब्ध कराने, विद्यालयों में बच्चों के पंजीयन को आधार कार्ड से जोड़ने तथा जून में 'स्कूल चलो अभियान' संचालित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संरक्षण के लिये पूर्ण कार्ययोजना बनाकर उस पर अमल करें तथा सरफेस वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रत्येक मकान के नक्शे में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक रूप से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंगा नदी को बचाने तथा ब्लॉकों को डॉर्क जोन से बचाने को तालाब खुदवाए जाएं। उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी ग्राम व जनपद ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित हो वह सर्वे मे फेल न हो यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, शौचालयों के उपयोग को भी सुनिश्चित कराया जाए।

श्री योगी ने गाजियाबाद मे सिटी बस सेवा प्रारम्भ

- **मुख्यमंत्री द्वारा मेरठ मण्डल की क़ानून–व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा।**
- **परिवर्तन के लिये हुआ है राज्य सरकार का गठन : मुख्यमंत्री**
- **शासन स्तर पर खुलेगी सीएम हेल्पलाइन।**
- **ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एक–एक विद्यालय को गोद लें अधिकारी।**
- **100 दिनों में परिवर्तन करके दिखायें अधिकारी : मुख्यमंत्री**
- **जनपदीय भ्रमण के दौरान सभी जिलाधिकारी अपने द्वारा किये गये तीन सर्वश्रेष्ठ कार्यो को बताएं : मुख्यमंत्री**
- **मुख्यमंत्री का मेरठ भ्रमण–मण्डलीय समीक्षा बैठक।**

करने के लिये नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी विकास कार्य कराये जा रहे है, उनके प्रभावी अनुश्रवण के साथ उसके सतत निरीक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित एक–एक विद्यालय को गोद लें तथा माह में तीन बार ऐसे विद्यालय का दौरा कर वहां शिक्षा, सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को देखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित होगा। जब वे जनपदीय भ्रमण करेंगे तब सभी जिलाधिकारी अपने द्वारा किये गये तीन सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत करें।

पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन श्री अजय आनन्द ने कहा कि सोतीगंज में वाहनों का अवैध संचालन रोका गया है। अतिक्रमण पर कार्यवाही की गयी व आमजन में रोड अनुशासन की भावना जागृत की गयी है। तीस साल से प्रत्येक शुक्रवार को संचालित चोर बाजार को बंद कराया गया है। पुलिस का मनोबल बढ़ा है।

मंडलायुक्त डा. प्रभात कुमार ने इस अवसर पर बताया कि मेरठ मण्डल में विकास कार्य निर्बाध गति से जारी है तथा उनका सतत् निरीक्षण भी किया जाता है। मण्डल में 214 गेहूं क्रय केन्द्र संचालित हैं, जिन पर गेहूं खरीद जारी है। मण्डल में 13 चीनी मिल स्थापित हैं, जिन्होंने वर्ष 2015–16 का गन्ना भुगतान कर दिया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिये मण्डल में 2200 किमी कुल लम्बाई की सड़कें चिन्हित की गई हैं। मण्डी परिषद द्वारा 132 किमी की परियोजना शासन को भेजी गयी है। गन्ना विभाग, जिला पंचायत आदि की सड़कों को भी गड्ढामुक्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर प. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, आईपीडीएस, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत योजना आदि की भी विस्तार से समीक्षा की गयी एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

प्रदेश सरकार नक्सली समस्या से निपटने को तत्पर

नक्सली समस्या से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मंथन बैठक का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में हुए अर्द्धसैनिक बलों पर नक्सली हमले के उपरान्त इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में देश से नक्सली समस्या को समूल नष्ट करने के विषय में गम्भीर मंत्रणा की गई।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए आवश्यक अभिसूचनाओं के आदान–प्रदान सहित सुरक्षा व्यवस्था को चाक–चौबन्द कर केन्द्र सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान करेगी तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त जानकारी को अमलीजामा पहनाते हुए इस समस्या के नियंत्रण पर प्रभावी कदम उठाएगी। प्रदेश के मुख्यतः दो जनपद चन्दौली और सोनभद्र, समस्याग्रस्त राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड से सटे होने के कारण नक्सली समस्या से प्रभावित है। इन क्षेत्रों में आवागमन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति में सुधार, खाद्य वितरण प्रणाली को सुचारु करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- **प्रदेश सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रणनीति के तहत समुचित व्यवस्था करेगी : मुख्यमंत्री**
- **प्रदेश सरकार नक्सली समस्या से निपटने के लिए आवश्यक अभिसूचनाओं के आदान-प्रदान सहित सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबन्द कर केन्द्र सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान करेगी।**
- **नई दिल्ली में नक्सली समस्या से निपटने के लिए मंथन बैठक सम्पन्न।**

सुविधाओं में प्रचुर मात्रा में सुधार करना, पेयजल समस्या का निराकरण तथा रोजगार सृजन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

श्री योगी ने कहा कि पुलिस बल को आवश्यक सुविधाएं, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना, संचार प्रणाली को सुचारु बनाना, पुलिस बलों को अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं, अपितु इस दिशा में केन्द्रीय सहयोग भी अपेक्षित है। नक्सल समस्या केवल कुछ राज्यों को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि देश के विकास एवं आर्थिक स्थिति पर भी कुप्रभाव डालती है। केन्द्र व राज्यों को आपसी समन्वय के साथ ठोस एवं नई रणनीति व तकनीक के माध्यम से इस समस्या के निराकरण में कन्धे से कन्धा मिलाकर प्रयास करने की जरूरत है। नक्सलियों से निपटने के लिए वैकल्पिक, आधुनिक, प्रौद्योगिक तथा संचार माध्यमों के नवीनीकरण एवं उच्चीकरण की भी वर्तमान परिस्थितियों में महती आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री एवं अन्य उपस्थित महानुभावों को आश्वस्त किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए कृत संकल्पित है तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों एवं निर्णयों के अनुपालन में कोई कमी नहीं रखेगी।

क़ानून व्यवस्था को लेकर किसी के साथ पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा - मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधान सभा में कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर किसी के साथ पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा और हर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मथुरा की घटना पर दुःख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। साथ ही आश्वस्त किया कि इस घटना के लिए जो भी अपराधी जिम्मेदार हैं, उन्हें कतई छोड़ा नहीं जाएगा।

योगी जी ने बताया कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को स्वयं मथुरा जाकर घटना की जानकारी प्राप्त करते हुए अपराधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक दिशा-निर्देश देने तथा अपराधियों के विरुद्ध निर्धारित समय में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सहारनपुर घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार स्थानीय संगठन के अलावा एक राजनैतिक दल के पूर्व विधायक को भी जिम्मेदार पाया गया है। उन्होंने आगाह किया कि जनता की सुख-शांति में खलल डालने वाले तथा लोगों को परेशान करने वाले किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।

- **कानून-व्यवस्था को लेकर किसी के साथ पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा : मुख्यमंत्री**
- **मुख्यमंत्री ने मथुरा की घटना पर दुःख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।**
- **प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को स्वयं मथुरा जाकर घटना के सम्बन्ध में जरूरी कदम उठाने के दिए गए निर्देश।**

गेहूँ की रिकार्ड खरीद

रबी विपणन वर्ष 2017-18

- 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के रू. 1 लाख तक के फसली ऋण माफ।
- फसली ऋण माफी पर लगभग रू. 36 हजार करोड़ का व्यय आयेगा।
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रू. 1,625 प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय।
- रू. 10 प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान लोडिंग-अनलोडिंग के लिए 5,105 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित।
- 36.99 लाख मी. टन गेहूँ खरीद की गयी।
- गत् वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक।
- 8,00,646 कृषकों को क्रय गेहूँ के सापेक्ष रू. 5,925.58 करोड़ का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया।

- राज्य सरकार के प्रयासों से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को भी मिली स्मार्ट सिटी की सौगात।
- मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही सरकार।
- लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई परियोजनाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप।
- वाराणसी और मथुरा में हेरिटेज सिटी विकास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं पर गुणवत्ता के साथ हो रहा काम।
- वाराणसी में 10 परियोजनाओं के लिए 90 करोड़ रुपए और मथुरा में 4 परियोजनाओं के लिए 34 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- योजना के तहत संचालित परियोजनाओं का कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

जनरथ बस सेवा की शुरुआत

- उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य कई वर्षों से लम्बित पारस्परिक करार दिनांक 13 जून को हस्ताक्षरित, दोनों राज्यों के 3.5 करोड़ से अधिक यात्रियों का सुलभ होगा आवागमन।
- प्रदेश के 3,725 गाँव, जिनमें अभी तक बस सेवा उपलब्ध नहीं थी उनमें उ.प्र. परिवहन निगम की बस सेवा शुरू की गई है।
- नये मोबाइल एप ''ट्रैक योर बस'' से यात्रियों को बस सेवा का अद्यतन स्थिति, सीट आरक्षण तथा फीडबैक की व्यवस्था उपलब्ध होगी।
- 54 जनपदों के 63 बस स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा स्थापित। प्रतीक्षारत यात्रियों को सुलभ हुयी ऑनलाइन सेवायें।
- परिवहन निगम द्वारा वातानुकूलित हाईएण्ड स्कैनिया एवं वाल्वो सेवा तथा साधारण श्रेणी की वातानुकूलित जनरथ बस सेवा की शुरुआत।

अल्पसंख्यकों

1. शिक्षण सुविधाओं का विकास

- जलालाबाद (शाहजहाँपुर), खरखौंदा (मेरठ), देवबंद (सहारनपुर), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), बिलासपुर (रामपुर), बिसौली (बदायूँ) में आई.टी.आई. भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो लोकार्पण के समय क्रियाशील हो जायेंगे। इन आई.टी.आई. की स्थापना से इन क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को अपने कौशल का विकास कर रोजगारोन्मुख होने में पर्याप्त सहायता मिलेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
- रामपुर–सैजनी, जेल रोड, काशीपुर, सहारनपुर –कपूरी रोड, टप्पालालू, कमेला रोड, मेरठ– ललियाना, जसौरा, मुजफ्फरनगर–कमहेडा, शफीपुर गढ़ीशेखावतपुर, बुधियानाखुर्द, पुरकाजी देहात, मेहालकी, विराल चरथावल, जौली, शामली–उमरपुर, बुलन्दशहर–खेतलपुर भसरौली, हापुड़–शेरपुर, बदायूँ–नसीर टप्पा मलसई तथा सिद्वार्थनगर–इटावा में इण्टर कालेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। इसके अतिरिक्त क्रमशः जालौन–औरैया रोड, बाराबंकी–मसौली, फतेहपुर, मेरठ–परीक्षितगढ़, रजपुरा सहारनपुर–सरसावां में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण आरम्भ किया गया है। राजकीय इण्टर कोलजों के निर्माण से क्षेत्र के निर्धन परिवारों के बालकों/बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ होगी।
- सिद्वार्थनगर–शोहरतगढ़, बरेली–बहेड़ी, नवाबगंज, शेरगढ़, तथा सीतापुर–बिसवां, लहरपुर टाउन में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों का उच्चीकरण कराया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन से पठन–पाठन की परिस्थिति बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

2. स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन

- लखीमपुर खीरी–कुम्भी (गोला) तथा मुजफ्फनगर –सदर एवं मोरना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के साथ ही हापुड़–धौलाना में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय के निमाण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा चिकित्सालयों के निर्माण से गरीब परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

के विकास हेतु योजनायें

3. पेयजल सुविधायें

- बागपत–पांची, सौटी, मुकुन्दपुर, रामपुर–कूप, टुमुडिया एवं दढियाल मुस्तकम, पीलीभीत–गझाड़ा, बीसलपुरा, वाहनपुर, पहाड़गंज एवं धुधंरी में पेयजल योजनाओं की स्थापन की गई है तथा मेरठ में 2, सहारनपुर में 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं आरम्भ की जा रही है। पेयजल परियोजनाओं की स्थापना से क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

4. स्वीकृत लागत तथा निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था तथाा संचालित करने वाले विभाग के साथ त्रिपक्षीय MOU की व्यवस्था की गयी है। इससे समय से निर्धारित लागत में परियोजनाएं पूर्ण होंगी, फर्नीचर, उपकरण आदि की व्यवस्था एवं स्टाफ की तैनाती कर ससमय परियोजनाएं क्रियाशील होंगी।

5. सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिक्ख समुदाय एवं जैन समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ जनपद रामपुर एवं जनपद झांसी में दो कार्यशालाएं आयोजित की गयी। दिनांक 04 जून, 2017 को रामपुर के सिख समुदाय के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गयी तथा दिनांक 07 जून, 2017 को झाँसी में जैन समुदाय के साथ एक कार्यशाला आयोजित की गयी जिसमें जनपद तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उच्चधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गयी। उपरोक्त दोनों समुदाय की सरकारी याजनाओं में इनकी और अधिक सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु उनके सुझाव प्राप्त किये गये। इससे इन अल्पसंख्यक समुदाय के सभी घटकों को योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे सामाजिक विषमता को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे सामाजिक सद्भाव एवं समानता बढ़ेगी।

6. मदरसों के उन्नयन हेतु पाठयक्रम पुनरीक्षण हेतु कार्यशालाओं का अयोजन दिनांक 06.5.2017 तथा 18.05.2017 को किया गया। पाठ्यक्रम पुनरीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अनुदान की प्रक्रिया में सरलीकरण एवं पारदर्शिता हेतु कार्यवाही प्रचलित है। इससे मदरसों की शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

7. तय कोटे के सापेक्ष लाटरी द्वारा कुल 29,017 हज यात्रियों का चयन किया जा चुका है। हज यात्रियों से अग्रिम धनराशि रू. 81,000.00 जमा करा ली गई है। चयनित हज यात्रियों के पासपोर्ट हज कमेटी आफ इण्डिया को भेज दिये गये हैं। टीकाकरण एवं प्रशिक्षण का कार्य जुलाई में प्रस्तावित है। इससे हज यात्री बिना किसी असुविधा के हज यात्रा पूर्ण कर सकेंगे।

सुगम यातायात को प्राथमिकता

- लखनऊ से गाजीपुर वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेस-वे परियोजना का नाम 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे' करने, पूर्व में निष्पादित बिड प्रक्रिया को निरस्त कर नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुये निर्माणकर्ताओं के चयन की कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने तथा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे' को अयोध्या से जोड़ने हेतु एक 'लिंक मार्ग' का निर्माण प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
- 1,21,000 कि.मी. गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 80,000 कि.मी. सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा 85,000 कि.मी. गड्ढायुक्त सड़कों में से लगभग 72,000 कि.मी. सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। शेष पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 1703 कि.मी. सड़कों में से 1637.25 कि.मी. सड़कें गड्ढामुक्त।
- यातायात को सुगम बनाने हेतु 10 दीर्घ सेतु 05 उपरगामी सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 22 मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण।
- विभाग द्वारा 30 परियोजनाओं/सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 350 कि.मी. पूर्ण ।
- केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत राज्य को 10,000 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर सहमति।
- बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन-उरई-बेला होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे तक छः लेन राष्ट्रीय मार्ग, जिसकी लम्बाई 320 कि.मी. एवं आंकलित लागत लगभग रु. 10,000 करोड़ की सहमति भारत सरकार से प्राप्त। झांसी-चित्रकूट- इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग, लम्बाई 380 कि.मी. को चार लेन में परिवर्तित करने की सहमति भारत सरकार से प्राप्त।
- गोवर्धन के विकास हेतु नये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण- भारत सरकार से सहमति प्राप्त। राष्ट्रीय मार्ग-2 एवं राष्ट्रीय मार्ग-11 के मध्य चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारों ओर चार लेन गोवर्धन परिक्रमा मार्ग। प्रस्तावित लम्बाई 99 कि.मी. आंकलित लागत रु. 4,645 करोड़।
- गोरखपुर में दो राष्ट्रीय मार्गो को जोड़कर रू. 1,500 करोड़ की लागत से 30 कि.मी. लम्बे बाइपास के निर्माण की सहमति।
- इलाहाबाद महानगर में रू. 4,500 करोड़ की लागत से 76 कि.मी. लम्बे इनर रिंग रोड के निर्माण की सहमति।
- इलाहाबाद महानगर में गंगा नदी पर रू. 2,460 करोड़ की लागत से 4 कि.मी. लम्बे 6 लेन सेतु के निर्माण की सहमति।
- लखनऊ महानगर में 7 मार्गो पर एलिवेटेड मार्ग के निर्माण की सहमति।
- कानपुर, मेरठ, बरेली एवं मुरादाबाद में रू. 10,900 करोड़ की लागत से बाईपास/रिंग मार्गो के निर्माण की सहमति।

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के गठन का फैसला

मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के गठन का फैसला लिया है। साथ ही, इसके लिए अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में संशोधन अथवा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया है।

ज्ञातव्य है कि मथुरा एवं वृन्दावन एक प्रमुख धार्मिक नगरी है एवं श्रीकृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में मथुरा एवं वृन्दावन का महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा एवं वृन्दावन के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए स्थानीय निवासियों व वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम बनाया जाना आवश्यक है।

नगर निगम का गठन होने से निकाय की आय में वृद्धि होगी, जिससे नगर निगम को वहां अवस्थापना

सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होगी। इसके अतिरिक्त इस वर्णित कारणों से इन क्षेत्रों के समुचित विकास एवं वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को रोजगार आदि के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के गठन का फैसला लिया गया है।

नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर नगर निगम अयोध्या बनाए जाने का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर नगर निगम अयोध्या बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही, इसके लिए अधिसूचना की अन्तर्वस्तु में संशोधन अथवा परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता पर आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है।

ज्ञातव्य है कि फैजाबाद एवं अयोध्या एक प्रमुख धार्मिक नगरी है एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्म स्थली होने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में इन स्थलों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। फैजाबाद एवं अयोध्या के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए स्थानीय निवासियों व वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या को मिलाकर नगर निगम बनाया जाना आवश्यक है।

नगर निगम का गठन होने से निकाय की आय में वृद्धि होगी, जिससे नगर निगम को वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होगी। इसके अतिरिक्त इस वर्णित कारणों से इन क्षेत्रों के समुचित विकास एवं वहां निवास करने वाले व्यक्तियों को रोजगार आदि के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद फैजाबाद एवं नगर पालिका परिषद अयोध्या को मिलाकर नगर निगम अयोध्या के गठन का फैसला लिया गया है।

उ.प्र. पथ विक्रेता नियमावली, 2017 अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 को अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार के पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या–7 सन् 2014) की धारा–36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण और पथ विक्रय की गतिविधियों तथा इससे सम्बद्ध या अनुषांगिक मामलों के विनियमन के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है।

नियमावली में विहित व्यवस्थानुसार प्रत्येक निकाय में यथास्थिति नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जाएगा। समिति का कार्यकाल प्रथम बैठक की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। किन्तु नियमावली के अनुरूप कार्य नहीं करने पर राज्य सरकार समिति को भंग कर सकती है। भंग किए जाने की दिनांक से 03 माह के भीतर नई नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जाएगा।

नगर पथ विक्रय समिति सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, पथ विक्रय परिक्षेत्र की धारण क्षमता और पथ विक्रय परिक्षेत्र में पथ विक्रेताओं को स्थान देना सुनिश्चित करेगी। पथ विक्रय प्रमाण–पत्र दिए जाने के पश्चात् पथ विक्रेताओं को समिति द्वारा परिचय पत्र भी जारी किया जाएगा। नई अवस्थापना विकास योजनाओं द्वारा हटाए गए पथ विक्रेताओं को समायोजित किया जाएगा, ताकि वह नई अवस्थापना द्वारा उत्पन्न आजीविका अवसरों का उपयोग कर सकें।

प्रत्येक नगर पथ विक्रय समिति में नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष होगा। समिति की सदस्य संख्या नगर पंचायत के मामले में अनधिक 10, नगर पालिका परिषद के मामले में अन्यून 10 और अनधिक 20 और नगर निगम के मामले में अन्यून 20 और अनधिक 40 होगी। समिति में गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा कम से कम 10 प्रतिशत सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। समिति में नगर पालिका क्षेत्र के पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या 40 प्रतिशत से कम नहीं होगी। पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्य महिला पथ विक्रेताओं में से होंगी। साथ ही, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों व निःशक्त पथ विक्रेताओं को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। प्रथम बार पथ विक्रय कार्य करने वाले का पथ विक्रेता के रूप में आवेदन करना होगा और उन्हें यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है।

14 वर्ष से कम आयु के लोगों को पथ विक्रेता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। प्रत्येक स्थिर पथ विक्रेता को पथ विक्रय परिक्षेत्र में, जहां समुचित रूप से उपलब्ध हो, 2x2 मीटर से अनधिक क्षेत्र इस रीति से उपलब्ध कराया जा सकेगा कि यानीय और पैदल यातायात में बाधा उत्पन्न न हो और दुकानों एवं आवासों तक की पहुंच बन्द न हो। पैदल सेतुओं, ऊपरिगामी सेतुओं और फ्लाई ओवर के ऊपर पथ विक्रय क्रिया–कलाप नहीं किया जाएगा। राज्य स्तर पर पथ विक्रय से सम्बन्धित समस्त मामलों के समन्वय के लिए निदेशक, स्थानीय निकाय या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी होगा।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत जारी 16 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना में संशोधन का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2015 प्रवृत्त हो जाने के फलस्वरूप, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1899) की धारा–76क के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या– 24/2016–889/94 स्टा.नि. –2–16–500(5)91 टी.सी. दिनांक 16 सितम्बर, 2016 में संशोधन का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के तहत स्टाम्प शुल्क की सुनवाई हेतु 'न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद' के स्थान पर 'सदस्य/न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद' किया गया है। साथ ही, उपायुक्त, स्टाम्प, सम्बन्धित मण्डल/वृत्त की स्टाम्प शुल्क के विवादों की अधिकारिता की सीमा में भी संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां विभागीय उपायुक्त, स्टाम्प के अतिरिक्त मण्डलायुक्त एवं अपर मण्डलायुक्त को अपीलों के निस्तारण हेतु प्रतिनिधानित किया गया है।

साथ ही, सदस्य/न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद को 25 लाख रुपए से अधिक, मण्डलायुक्त को 25 लाख रुपए तक तथा अपर मण्डलायुक्त/उपायुक्त स्टाम्प को 10 लाख रुपए तक की सीमा तक स्टाम्प वाद के मामलों में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। उपायुक्त स्टाम्प, सम्बन्धित मण्डल/वृत्त की स्टाम्प शुल्क के विवादों की अधिकारिता में संशोधन करते हुए 10 लाख रुपए तक की सीमा तक का अधिकार दिया गया है, जिससे जन–सामान्य के स्थानीय स्तर पर स्टाम्प वाद के प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा सके।

उ.प्र. विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 मंजूर

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की नियमावली, 1974 में विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष पदों यथा विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की शैक्षिक योग्यता सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश दिनांक 16 जनवरी, 2015 द्वारा हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट कर दी गयी है।

इस क्रम में विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की भांति हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सहायक (महिला) के पदों, जिनका समावेश मूल नियमावली में अभी तक नहीं किया जा सका है, की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित करते हुए इन पदों का समावेश नियमावली में किए जाने हेतु आवश्यक संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

चूंकि विधान सभा सचिवालय को उत्तर प्रदेश सचिवालय से प्रारम्भ से ही समकक्षता प्राप्त है, अतः विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष पदों– यथा विधान भवन रक्षक/आग्निक/अग्नि रक्षक की भांति हाईस्कूल के स्थान पर इण्टरमीडिएट किए जाने तथा सुरक्षा सहायक (महिला) के पदों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित करते हुए इन पदों का समावेश मूल नियमावली में किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) की (सातवां संशोधन) नियमवाली, 2017 को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव मंजूर

मंत्रिपरिषद ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के

चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान करने तथा चिकित्सा सेवाओं में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध पायी गई है व जिनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें/शारीरिक अस्वस्थता है, उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में विभिन्न स्तर के चिकित्सकों के लगभग 18382 पद सृजित हैं, जिनमें से 7348 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं तथा प्रतिवर्ष लगभग 300–400 चिकित्सक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाले अधिचायन के सापेक्ष चयन की कार्यवाही में विलम्ब होता है। चयनोपरान्त चयनित अभ्यर्थियों में से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों/चिकित्सकों द्वारा योगदान नहीं किया जाता है। योगदान देने के उपरान्त भी अधिकांश चिकित्साधिकारियों द्वारा सेवाएं छोड़ दी जाती हैं। फलस्वरूप चिकित्सकों के पदों को भर पाना एवं जन सामान्य को सतत् व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजित कर काफी हद तक चिकित्सकों की कमी दूर किए जाने का प्रयास किया गया है। फिर भी बड़ी संख्या में प्रतिमाह चिकित्सकों के सेवानिवृत्त होने, नये चिकित्सकों के द्वारा अपेक्षित संख्या में नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण न करने के कारण बड़ी संख्या में चिकित्साधिकारी के पद रिक्त बने हुए हैं। जनता को सुलभ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु पूर्व से स्थापित चिकित्सालयों में नई चिकित्सा यूनिट खोले जाने, नवीन 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, ट्रॉमा सेण्टर, महिला चिकित्सालय/मैटरनिटी विंग खोलने एवं नये स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप चिकित्सकों की अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है।

पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के आठों पैकेजों को ई.पी.सी. पद्धति पर अग्रेत्तर क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना के आठों पैकेजों को ई.पी.सी. पद्धति पर अग्रेत्तर क्रियान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

साथ ही, लखनऊ से गाजीपुर वाया आजमगढ़ प्रवेश नियंत्रित (ग्रीन फील्ड) एक्सप्रेस–वे परियोजना का नाम 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' करने, परियोजना हेतु पूर्व में निष्पादित की गयी बिड प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नवीन सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ कर आठों पैकेजों हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन की कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने तथा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे' को अयोध्या से जोड़ने हेतु एक 'लिंक मार्ग' का निर्माण, प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

इसके अलावा, पूर्वान्चल एक्सप्रेस–वे परियोजना का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे–मिट्टी, बालू, मौरंग, गिट्टी आदि की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारियों से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा सीधे माइनिंग राईट्स लिए जाने की कार्यवाही करने के विकल्प की अनुमति भी प्रदान किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस सम्बन्ध में यूपीडा द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सहमति प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इस कार्यवाही से राज्य सरकार को कोई नुकसान न हो।

ज्ञातव्य है कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–2366/77–3–16–502 एम/2014 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा विषयगत परियोजना के आठों पैकेजों को ई.पी.सी. पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु निर्माणकर्ताओं के चयन सम्बन्धी अंतिम बिडिंग अभिलेख पर प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में, पूर्व में शॉट लिस्टेड निविदाकर्ताओं से निविदायें प्राप्त कर विभिन्न पैकेजों हेतु न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निर्माणकर्ताओं को चिन्हित किया गया था।

परियोजना हेतु भूमि को क्रय/अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण के माध्यम से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं वर्तमान में लगभग 41 प्रतिशत भूमि उपलब्ध हो चुकी है। शेष वांछित भूमि शीघ्र ही उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सबका साथ – सबका विकास

सत्यमेव जयते

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

एक कर एक देश एक बाजार

जी.एस.टी.

वाणिज्य कर विभाग इस नवीन कर प्रणाली में आपका स्वागत करता है

उ.प्र. वाणिज्य कर विभाग के 581370 पंजीकृत व्यापारियों ने जी.एस.टी. पोर्टल **www.gst.gov.in** पर रजिस्टर कर लिया है

विभाग के 2000 अधिकारियों एवं 5000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है

विभाग द्वारा 500 से अधिक कार्यशालाएं/जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें 5000 से अधिक व्यापारियों, अधिवक्ताओं, सी.ए. एवं अन्य नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है।

आप भी आज ही पंजीकरण हेतु वाणिज्य कर अधिकारियों से सम्पर्क करें और जी.एस.टी. अपनाकर प्रदेश की प्रगति में भागीदार बनें

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें :

वेबसाइट www.comtax.up.nic.in | ई–मेल info.up.gst@gmail.com | comtaxup | @ComtaxU | हेल्पलाइन 0522-3312600, 2721944 | कंट्रोल रूम 0522-2721153

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

100 दिन विश्वास के

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

योगी आदित्य
मुख्यमंत्री, उत्तर प्र

सबका साथ – सबका विकास

खुशहाल किसान खेतों में नई जान

- 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमान्त किसानों के लगभग 36 हजार करोड़ रु. का फसली ऋण माफ।
- गेहूँ समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानों से अब तक 36.99 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद, जो पिछले साल से 4.5 गुना अधिक है।
- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये 1,625 प्रति कुन्तल निर्धारित।
- गन्ना किसानों को इस वर्ष अब तक 22,190 करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान।
- 34 मण्डियों में ई–ट्रेड की सुविधा उपलब्ध।
- गन्ना किसानों की शिकायत निवारण हेतु टोल फ्री नं. **1800 121 3203** जारी।

हर राह रौशन हर घर उजियारा

- जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे एवं ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे की बिजली आपूर्ति।
- सभी परिवारों को अक्टूबर, 2018 तक बिजली उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के साथ 'पावर फार ऑल' एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित।
- गांवों के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को 48 घंटे व शहर के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बदलने के कड़े निर्देश।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा।
- उपभोक्ताओं के लिए प्रदेश व्यापी हेल्पलाइन '1912' का उच्चीकरण और विस्तारीकरण।
- 18,000 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण।
- 100 दिनों में 6,06,319 पावर कनेक्शन दिये गये।

बेहतर चिकित्सा सर्वोत्तम सुविधायें

- 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित।
- चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई।
- दवाईयां सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की स्थापना।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य कैंप लगाकर 87 लाख बच्चों का टीकाकरण।
- इंसेफलाइटिस/जे.ई. प्रभावित 38 जिलों में 88 लाख 62 हजार बच्चों का टीकाकरण।
- 1000 चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय।

महिला सशक्तीकरण का सार्थक प्रयास

- बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एण्टी रोमियो स्क्वॉयड का गठन।
- महिला सशक्तीकरण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के अवशेष 64 जनपदों में आपकी सखी–आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना/विस्तार की योजना, प्रथम चरण में अवशेष 64 जनपदों में भी रेस्क्यू वैन उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण। उक्त वैन सेवा जी0पी0एस0 सिस्टम से लैस तथा 181–महिला हेल्पलाइन से जुड़ी रहेगी।
- कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध मुखबिर योजना की शुरूआत।

उद्योगों की बात टेक्नोलाजी के साथ

- रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रदेश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर।
- 'मेक इन यू.पी.' सेल के गठन का निर्णय।
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए सुपर मेगा श्रेणी के अंतर्गत सैमसंग द्वारा 4915 करोड़ रुपये और इंटक्स द्वारा मेगा श्रेणी के अन्तर्गत 372 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर।
- सभी विभागों में ई–टेण्डरिंग प्रणाली लागू, जिससे निविदा प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा।

पारदर्शी शासन जवाबदेह प्रशासन

- प्रत्येक जिले में एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन।
- एण्टी भू–माफिया पोर्टल स्थापित।
- 153808 भू–माफिया अतिक्रमणकर्ता चिन्हित, 16505 के विरूद्ध वाद दर्ज।
- पहली बार राजस्व वादों में नामांतरण प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने हेतु आवेदन प्रणाली को ऑनलाइन किया गया।

तरक्की को मिली नई रफ्तार

- उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के मध्य अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौता।
- नये 3,725 गांवों में परिवहन निगम की बस सेवाएं शुरू।
- वातानुकूलित हाईएण्ड स्कैनिया एवं वाल्वो सेवा तथा साधारण श्रेणी की वातानुकूलित जनरथ बस सेवा की शुरूआत ।
- लखनऊ मेट्रो रेल के प्रथम फेज की परियोजना 2019 तक पूरी होगी। कानपुर एवं वाराणसी मेट्रो रेल के डीपीआर केन्द्र सरकार को प्रेषित। झांसी और गोरखपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के डीपीआर तैयार। मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद मेट्रो के डीपीआर पर कार्रवाई की जा रही है।

कानून का राज भरोसे के साथ

- अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण सृजित कर कानून का राज स्थापित करने के लिये सरकार कृत संकल्पित।
- पुलिसिंग में दक्षता व जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जोन व रेन्ज स्तर पर अधिकारियों की तैनाती।
- पुलिस में आरक्षियों व उपनिरीक्षकों के लगभग सवा लाख रिक्त पद भरने हेतु 4 वर्षीय कार्ययोजना।
- यूपी 100 सेवा के रिस्पांस टाईम में कमी लाने हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराये गये।
- इलेक्ट्रानिक चिप से पेट्रोल पम्प पर बड़े स्तर की घटतौली की घटनाओं का पर्दाफाश, दोषियों पर कार्रवाई।
- अवैध बूचड़खानों पर रोक। पशुतस्करी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई।

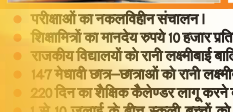

शिक्षा को मिला सम्मान

- परीक्षाओं का नकलविहीन संचालन।
- शिक्षामित्रों का मानदेय रुपये 10 हजार प्रतिमाह किया।
- राजकीय विद्यालयों को रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम के तहत जूडो प्रशिक्षण।
- 147 मेधावी छात्र–छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सम्मान।
- 220 दिन का शैक्षिक कैलेण्डर लागू करने का निर्णय।
- 1 से 10 जुलाई के बीच स्कूली बच्चों को यूनीफार्म, जूते, पाठ्य–पुस्तकें एवं बैग का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा

तीर्थयात्रियों का रखा ख्याल

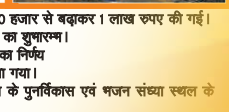

- कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु अनुदान राशि प्रति तीर्थयात्री 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई।
- जनमानस की सुविधा के लिए धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट का शुभारम्भ।
- गाजियाबाद एवं लखनऊ में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का निर्णय
- सिन्धु दर्शन का अनुदान रुपये 10 प्रति हजार प्रति यात्री किया गया।
- अयोध्या में भजन संध्या स्थल एवं चित्रकूट में परिक्रमा पथ के पुनर्विकास एवं भजन संध्या स्थल के निर्माण का निर्णय।

नीतियों में किया सुधार बढ़ी सम्भावनायें अपार

- गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम 'महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल' किये जाने का निर्णय।
- (नोएडा) में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने की केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति।
- सिविल टर्मिनल का नाम पं.दीनदयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल किये जाने का निर्णय।
- की मासिक पेंशन 300 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये की गई।
- की समस्याओं के निवारण हेतु हेल्पलाइन नं. **1800 180 1995** जारी।।
- 24 जनवरी को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के रूप में मनाने जाने का निर्णय।
- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून, 2017) के अवसर पर लखनऊ एवं पूरे प्रदेश में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 6.37 लाख परिवारों का पंजीकरण और 5.04 लाख आवास स्वीकृत।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 'ग्रामीण' के लाभार्थियों को मिलेगा जॉब कार्ड एवं 90 दिनों का रोजगार।
- वृदावन–मथुरा एवं अयोध्या–फैजाबाद को नगर निगम का दर्जा।
- झांसी, इलाहाबाद और अलीगढ़ को मिली स्मार्ट सिटी की सौगात।
- 449 अतिरिक्त वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ।

- लगभग 80 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 9808 किमी. सड़के गड्ढामुक्त तथा अधूरी पड़ी 62 सड़कों का निर्माण।

विश्वास हुआ बहाल – बदला प्रदेश का हाल

सूचना